01/05/2023 – पत्रावली कैंप शाहपीनी में पेश हुई। वादी गुरविंद्र सिंह पुत्र जगदेव सिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी द्वारा धारा 88 RTA के तहत वाद पेश किया कि चक 19 AMP के खाता नं. 44/50 (ज.नं. 2070-73) में प्रतिवादी जगदेव सिंह पुत्र नायब सिंह जाति जटसिख के नाम 1/4 हिस्सा भूमि कुल भूमि 4.048 है. में से हिस्से अनुसार रिकॉर्ड दर्ज है अर्थात् प्रतिवादी उक्त भूमि में 1.012 है. भूमि पर काबिज काश्त है जिसमें से वादी अपने घरेलू बटवारे व हक हिस्से अनुसार 0.506 है. भूमि का हिस्सेदार है ~~जिसकी~~ जिसकी खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही गई है।

प्रतिवादी जगदेव सिंह पुत्र नायब सिंह ने जवाब दावा पेश किया तथा वाद पत्र अनुसार दावेदारी के बिंदुओं को स्वीकार किया।

प्रतिवादी नं. (2) बैंक SBI, NDM सादुलशहर द्वारा रहन मुक्त प्रमाण पत्र पेश, वादी द्वारा किया गया तथा पक्षकार हटाने बाबत वांछना की गई। उक्त अनुसार बैंक को पक्षकार, इस वाद से हटाया जाता है।

प्रतिवादी का जवाब दावा, वादी द्वारा चाहे गये वाद अनुसार संगत पाया जाता है अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त आदेशिका के प्रथम पेरा में अंकित विवरण अनुसार चक 19 AMP के खाता नं. 44/50 (ज.नं. 2070-73) के कुल रकबे 4.048 में उसके पिता के 1/4 हिस्से में से 0.506 है. भू. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, रिकॉर्ड में वादी एवं प्रतिवादी को 1/8 1/8 हिस्सा का अंकन, तहसीलदार राजस्व, संगरिया को किये जाने के आदेश प्रसारित किये जाते हैं। डिक्री तैयार किया जावे।

निर्णय सुनाया गया

(हस्ताक्षर) 01/05/2023
SDO

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2023
शिविर स्थल- शाहपीनी
उपखण्ड संगरिया

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2023

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official